P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-10* June- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

जीएसटीः सरलीकरण के साथ जीएसटी चोरी की रोकथाम भी जरूरी

मुकेश कुमार
एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रभारी,
वाणिज्य विभाग,
दिगम्बर जैन कॉलिज,
बड़ौत, बागपत, भारत

अनीता जैन
मानदेय प्रवक्ता,
अर्थशास्त्र विभाग,
जैन स्थानकवासी गर्ल्स डिग्री कालिज,
बड़ौत, बागपत, भारत

सारांश

भारत में जीएसटी 01 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। विगत 2 वर्षो में जीएसटी का काफी सरलीकरण किया गया, जिसके परिणामस्वरुप जीएसटी के अनुपालन में निरन्तर सुधार आ रहा है, न केवल रिर्टन दाखिल करने वाले व्यापारियों की संख्या बढ रही है, जीएसटी संग्रह भी बढ़ता जा रहा है। जनवरी 2019 से जीएसटी संग्रह (फरवरी एवं जून 2019 को छोडकर) एक लाख करोड़ रूपये को पार कर रहा है। जीएसटी काउंसिल की 31वीं बैठक 22.12.2018 को वित्तमंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई थी, 32वीं बैठक 16.01.2019 को, 33वीं बैठक फरवरी 2019 को, 34वीं बैठक (आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण निर्वाचन आयोग की मंजूरी से) 19.03.2019 को विडियो कान्फ्रेसिंग के जरिये हुई थी एवं 35वीं बैठक 21.06.2019 को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई थी। दुनिया के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जीएसटी लागू करने वाली कोई सरकार दोबारा सत्ता में आयी है।

मुख्य शब्द : जीएसटी रिटर्न, जीएसटी संग्रह, सरलीकरण, मुनाफाखोरी, जीएसटी चोरी।

प्रस्तावना

जीएसटी रिर्टन फाइलिंग के ट्रेंड के विश्लेषण से पता चलता है कि जुलाई 2017 से जून 2018 तक नियत समय पर सर्वाधिक जीएसटी रिर्टन दिसम्बर 2017 के लिये भरे गये थे। उस समय 81.82 लाख व्यापारियो को रिटर्न फाइल करनी थी जिनमें में 66.32 प्रतिशत रिटर्न अन्तिम तिथि तक फाइल की गयी थी। इसके बाद इस अनुपात में गिरावट दर्ज होने लगी। जुलाई 2018 में 94.70 लाख व्यापारियों में से 68 प्रतिशत ने अपनी रिटर्न समय पर दाखिल की। देश के 37 राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों में से सिर्फ 10 में समय पर रिटर्न भरने वाले व्यापारियो का अनुपात राष्ट्रीय औसत अनुपात से अधिक है। इनमें पश्चिम से गुजरात, पूर्व से प0बंगाल और शेष 8 राज्य उत्तर भारत से हैं। स्पष्ट है कि उत्तरी राज्यों में औद्योगिकरण भले ही कम हो लेकिन यहां के अधिकांश कारोबारी रिटर्न भरने में समय के पाबंद है और लंबे समय से औद्योगीकृत दक्षिणी राज्य इनका मुकाबला नहीं कर पा रहे है।

तालिका– 1 मे जुलाई 2017 से जून 2019 के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या को दर्शाया गया है।

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-10* June- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

तालिका – 1 : जीएसटी रिटर्न (लाख में)

माह	रिटर्न भरने थे	रिटर्न भरे	फीसद	माह	रिटर्न भरने थे	रिटर्न भरे	फीसद	माह	रिटर्न भरने थे	रिटर्न भरे	फीसद	माह	रिटर्न भरने थे	रिटर्न भरे	फीसद
जुलाई 17	74.61	38.34	51	जनवरी 18	83.22	53.94	65	जुलाई 18	94.70	64.39	68	जनवरी 19		73.3	
अगस्त	75.32	27.25	36	फरवरी	85.45	54.51	64	अग0	96.15	57.02	59	फर0		73.48	
सि0	79.25	39.34	50	मार्च	87.08	52.83	60	सि0	96.57	64.19	66	मार्च		75.95	
अ0	81.54	43.68	53	अप्रैल	88.17	56.38	64	अ0	97.57	53.98	55	अप्रेल		72.13	
न0	79.92	49.13	61	मई	91.22	56.18	62	न0	98.46	63.36	64	मई		72.45	
दि0	81.82	54.26	66	जून	93.16	58.39	63	दि0		72.44		जून		74.38	

जीएसटी रिटर्न भरने वालो की संख्या में वृद्धि न होना और लगभग 1/3 कारोबारियो का रिटर्न न भरना इसलिये चिंताजनक है कि इसका सीधा असर सरकार के राजस्व पर पड़ता है।

जीएसटी संग्रह

सरकार ने ई–वे बिल के प्रभावी क्रियान्वन सहित हाल के महीनो में टैक्स चोरी रोकने के लिए जो कदम उठाये है, सभवतः उसके कारण ही जनवरी 2019 से जीएसटी संग्रह में उछाल आया है। लेकिन सरकार की निरंतर कोषिषों के बावजूद जीएसटी संग्रह का औसत मासिक ऑकड़ा एक लाख करोड़ रुपये को पार नहीं कर पा रहा है। वित्त वर्ष 2018–19 का औसत मासिक संग्रह 98114 करोड़ रु0 रहा है जबकि लक्ष्य वित्त वर्ष के लिए (13.48 लाख करोड़ रुपये होने के कारण) 1.12 लाख करोड़ रुपये था (यद्यपि संषोधित लक्ष्य 13.48 लाख करोड़ रुपये से घटाकर 11.47 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया था)। वित्त वर्ष 2019–20 के लिए लक्ष्य 13.71 लाख करोड़ रुपये रखा गया है।

तालिका– 2 में जुलाई 2017 से जून 2019 के लिए जीएसटी संग्रह को दर्षाया गया है।

तालिका– 2 जीएसटी संग्रह (करोड़ रू0 में)

माह	राशि	माह	राशि	माह	राशि	माह	राशि
जुलाई 2017	92283	जनवरी 2018	89825	जुलाई 2018	96483	जनवरी 2019	102503
अगस्त	90669	फरवरी	85962	अगस्त	93960	फरवरी	97247
सितम्बर	92150	मार्च	92167	सितम्बर	94442	मार्च	106577
अक्टूबर	83346	अप्रैल	103000	अक्टूबर	100710	अप्रैल	113865
नवम्बर	80808	मई	94106	नवम्बर	97637	मई	100289
दिसम्बर	86703	जून	95610	दिसम्बर	94725	जून	99939

जीएसटी मुआवजा/प्रतिपूर्ति

जीएसटी लागू करते समय राज्यों को पॉच वर्ष तक सालाना 14 प्रतिशत राजस्व वृद्धि की गारन्टी दी गयी थी। जीएसटी के कारण राज्यों को होने वाले राजस्व घाटे की पूर्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है। राज्यों को जीएसटी मुआवजे का भुगतान हर दो महीने पर किया जाता है। जुलाई 2017–मार्च 2018 में राज्यों के जीएसटी राजस्व का घाटा औसतन 16 फीसद रहा था जो अप्रैल 2018 – अगस्त 2018 में घटकर 13 फीसद पर आ गया। अप्रैल–मई 2018 के लिए 3899 करोड़ रु0 के मुआवजे का भुगतान किया गया था जबकि जून–जुलाई 2018 के लिए 14930 करोड़ रु0 और अगस्त–सितम्बर 2018 के लिए 11922 करोड़ रुपये के मुआवजे का भुगतान किया गया। आज 20 राज्यों के राजस्व में 14 प्रतिशत वार्षिक से अधिक की वृद्धि हो रही है।

सरलीकरण

1. 01 जुलाई 2017 को 226 वस्तुयें 28 फीसद की उच्चतम दर के दायरे में थी आज (2 वर्ष पश्चात) 1214 वस्तुयें जीएसटी के दायरे में है जिनमें से केवल 28 वस्तुयें (ए0सी0 जैसी लक्जरी वस्तुयें, सिगरेट जैसी अवगुणी वस्तुयें एवं आम लोगों की वस्तु केवल सीमेंट) 28 फीसद के दायरे में है, 183 वस्तुओं पर शून्य फीसद, 308 पर 5 फीसद 178 पर 12 फीसद और 517 पर 18 फीसद जीएसटी है। इस प्रकार आज 98 फीसद वस्तुयें 18 फीसद या इससे कम के स्लैब में है।
2. एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग) क्षेत्र की मैन्युफेक्चरिंग इकाइयो व व्यापारियो के लिए जीएसटी पंजीकरण से छूट की सीमा को 20 लाख रु से बढ़ाकर 40 लाख रु0 किया गया।
3. उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश सहित विषेश राज्य का दर्जा प्राप्त प्रदेशो में जीएसटी से छूट की सीमा को 10 लाख रु0 से बढ़ाकर 20 लाख रु0 किया गया।
4. सेवा क्षेत्र के कारोबारियो को कम्पोजिशन स्कीम के दायरे में लाया गया। 50 लाख रु0 सालाना तक

टर्नओवर वाले व्यापारी मात्र 6 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करके इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।

5. कम्पोजिशन स्कीम की सीमा को 1 करोड़ रु0 से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये किया गया।
6. कम्पोजिशन स्कीम के तहत व्यापारी रिटर्न साल में सिर्फ एक बार भरेगे और कर का भुगतान हर तिमाही करेगे।
7. निर्माणाधीन आवासीय फ्लैट पर जीएसटी की दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत और अफोर्डबल हाउसिंग (किफायती श्रेणी के मकानो) पर 8 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत कर दिया गया। (आईटीसी की सुविधाा समाप्त कर दी गयी ऐसा इसलिए किया गया क्योकि बिल्डर आईटीसी का लाभ क्रेताओ को नहीं दे रहे थे।
8. निर्माणाधीन आवासीय परियोजनाओं को पुरानी या नयी दरों के बीच चुनाव करने की सुविधा प्रदान की गयी।
9. ई–वाहनों पर जीएसटी की दर 12 से घटाकर 5 फीसद करने का प्रस्ताव फिटनेस कमेटी को भेजा गया। (05 जौलाई 2019 को घोषित आम बजट में इसकी घोशणा की गयी)
10. सालाना 50 करोड़ रुपये से ज्यादा के कारोबार पर बी02बी0 ब्रिकी के लिए सरकारी पोर्टल से ई0चालान निकालना अनिवार्य किया गया।
11. केरल को 2 वर्षो के लिए आपदा सेस लगाने की अनुमति दी गयी।

मुनाफाखोरी

जीएसटी के एंटी प्रोफिटेयरिंग नियमों के अनुसार जीएसटी दरों मे कटौती के बाद कम्पनियो को इसका लाभ उपभोक्ताओ तक पहुँचाना होता है। इसके लिए उन्हें उत्पादो की कीमतों में भी उतनी कटौती करनी होती है जितनी कटौती टैक्स में हुई है। एक शिकायत पर डीजीएपी ने मशहूर एफएमसीजी कम्पनी नैस्ले (मैगी नूडल, नेस्कैफी काफी, किटकैट चाकलेट) के खातों की जांच करके पाया कि कम्पनी ने जीएसटी दरों में कमी का लाभ (एमआरपी में कमी करके या उत्पाद के वजन में वृद्धि करके) ग्राहको तक नहीं पहुंचाकर करीब 100 करोड़ रु0 की मुनाफाखोरी की है। यद्यपि कम्पनी के प्रवक्ता ने कहा कि जिन मामलो में घटी दरों का लाभ ग्राहको तक नहीं पहुँचाया जा सका, उनमें कम्पनी ने स्वेच्छा से पैसा ग्राहक कल्याण कोष (सीडब्लूएफ) में जमा कर दिया है।

ब्रांडेड जिंस (आटा, दाल बेसन, सूजी) पर 5 फीसद जीएसटी लगता है जबकि नान ब्राडेड उत्पादो पर जीएसटी की दर को शून्य फीसद कर दिया गया है। बिना पंजीकृत ब्रांड के ऐसे उत्पाद बेचने वाली कुछ कम्पनिया और मिले जीएसटी दर में कमी का लाभ ग्राहको को नहीं पहुँचा रही थी। उपभोक्ता मामलो के मंत्रालय द्वारा ऐसी कम्पनियों की जांच करने को कहा गया।

जीएसटी काउंसिल ने 15 नवम्बर 2017 को वाशिंग पाउडर, शैम्पु आदि पर जीएसटी की दर को 28 फीसद से घटाकर 18 फीसद कर दिया था। जीएसटी की स्थायी समिति को शिकायत मिलने पर डीजीएपी ने पी एंड जी के बुक्स आफ एकाउण्ट में 15 नवम्बर 2017 से पहले और बाद की कीमतों की जांच करके पाया कि कम्पनी ने कई उत्पादों की कीमतों मे कमी न करके करीब 250 करोड़ रु0 की मुनाफाखोरी की है।

जीएसटी कटौती का लाभ उपभोक्ताओ को न देने पर अभी तक मुनाफाखोरी की राशि व 25000 रु0 के जुर्माने का प्रावधान था। अब जीएसटी कटौती का लाभ उपभोक्ताओ को न देने पर 10 फीसद जुर्माना लगेगा। मुनाफाखोरी की राशि 30 दिन में जमा न करने पर जुर्माने के साथ मुनाफे का 10 फीसद और देना होगा।

जीएसटी चोरी

सरकार की कोशिषों के बावजूद जीएसटी चोरी नहीं रुक रही है व्यापारी नये–नये (सामान्यत 10 तरीके से) जीएसटी चोरी करने का प्रयास कर रहे है। मुख्यतः पंजीयन के दायरे में आने पर भी पंजीयन न कराके कम्पोजिशन स्कीम में होने के बावजूद ऊँची दर से कर वसूल करके, फर्जी ई–वे बिल जेनरेट करके (क्रय मूल्य अधिक दिखाकर ताकि आईटीसी ज्यादा मिल सके और ब्रिकी मूल्य कम दिखाकर ताकि कर कम देना पडे), फर्जी कम्पनिया बनाकर आदि। उत्तर प्रदेश एवं बिहार की वाणिज्य कर विभाग की संयुक्त टीमों ने पाया कि इको स्टील, मिर्जापुर द्वारा अपनी सिस्टर कम्पनी इको सीमेट, भमुआ (बिहार) को 110 करोड़ रु0 मूल्य के लोहा व सरिया के इन्वायस और ई–वे बिल जेनरेट किये गये लेकिन क्रेता क0 द्वारा आगे ब्रिक्री घोषित नहीं की गयी। अप्रैल 2018 से कर चोरी रोकने के लिए उपाय शुरु किये जाने के पश्चात् अप्रैल–दिसम्बर 2018 में जीएसटी चोरी एवं नियम उल्लंघन के 15278.18 करोड़ रु0 मूल्य के 3626 मामले पकडे गये। अप्रैल 2018–फरवरी 2019 में 20000 करोड़ रु0 की जीएसटी चोरी पकडी गयी जिसमें से 10000 करोड़ रुपये की वसूली की गयी। फरवरी 2019 मे 1500 करोड़ रु0 की फर्जी इन्वायस पकडी गयी जिसके जरिये 75 करोड़ रुपये के आईटीसी का अवैध क्लेम किया गया था इसमें 25 करोड़ रुपये की वसूली की गयी। जून 2019 में राजस्थान में पहली बार 21 करोड़ रु0 की जीएसटी चोरी के मामले में भिवाडी (अलवर) के एक कारोबारी को गिरफ्तार किया गया।

उत्तर प्रदेश की जीएसटी एसटीएफ को एक मोबाइल न0 से 9 राज्यों में पंजीकृत हुई 50 फर्मो का पता चला, इनमें 24 फर्मे उत्तर प्रदेश की थी। इन फर्मो की खरीद ब्रिकी की श्रृखला जॉचें जाने पर 17 राज्यों में सक्रिय 142 फर्जी फर्मे सामने आयी इनमें 56 फर्मो का फर्जी पता उत्तर प्रदेश के 21 जिलो का है, जबकि 25 फर्मे झारखंड की थी। जीएसटी लागू होने के बाद लचर व्यवस्था का फायदा उठाते हुये 142 पंजीकृत बोगस फर्मो में से 97 फर्मो के जरिये 402 करोड़ रू0 का माल खरीदा गया और 445 करोड़ रु0 का माल बेचा गया लेकिन न खरीदने वाले का पता है और न बेचने वाले का। ऐसा करके पूरे देश में 150 करोड़ रु0 से अधिक की (यूपी में 67 करोड़ रु0 की) कर चोरी की गयी। इस कारोबार में धोखाधडी कर अन्य लोगो के 112 पैन कार्ड इस्तेमाल किये गये, 37 मोबाइल नं0 को पंजीकरण में इस्तेमाल करने के बाद बंद कर दिया गया, पंजीकरण के लिए

फर्जी आधार न0 लगाये गये, एक आधार न0 पर 27 फर्मो का पंजीयन कराया गया, 8 आधार न0 से 67 पंजीयन कराये गये, फर्जी दस्तावेजो के साथ प्रत्येक फर्म के लिए बैंक में खाता खोला गया, 28 पंजीयन में एक ही बैंक खाते का उपयोग नाम व फोटो बदलकर किया गया, 24 पंजीयन में एक ही बिजली के बिल का उपयोग नाम व पता बदलकर किया गया। फर्जी दस्तावेजो के जरिये 3023 ई–वे बिल जेनरेट किये गये और माल के परिवहन के लिए 1591 ट्रको का इस्तेमाल किया गया। इनमें से 43 ट्रको को वाणिज्य कर अधिकारियो द्वारा पकडा जा चुका है। 17 राज्यों में पंजीकृत इन ट्रक मालिको के खिलाफ लखनऊ के विभूतिखंड थाने में एफआईआर दर्ज करायी गयी है।

इसी प्रकार जीएसटी कार्यालय सुरजपुर (ग्रेटर नोएडा) मे पंजीकरण के लिए जमा कराये गये कागजो के सहारे 20 फर्जी फर्म बनाकर 615 करोड़ रु0 की खरीदारी की गयी जिस पर 55 करोड़ रु0 के जीएसटी का भुगतान नहीं किया गया। इस प्रकरण में 4 आरोपियो को गिरफ्तार किया गया। हरियाणा में 322 करोड़ रु0 के फर्जी इन्वायस का इस्तेमाल करके 16 करोड़ रु0 से अधिक का आईटीसी हासिल किया गया। फर्जी इन्वायस के आधार पर जीएसटी रिफंड का दावा करने वाले 5106 संदिग्ध निर्यातको की पहचान की गयी जिन्हे रिफंड का भुगतान करने से पहले उनके दावो की मैनुअल तरीके से जांच की जायेगी।

सुझाव

1. पंजीयन की व्यवस्था इतनी आसान न हो कि कोई भी जीएसटी आटोमेटिक पंजीयन प्रणाली का दुरुपयोग कर ले।
2. पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली और नीति आयोग के वाइस चैयरमैन राजीव कुमार द्वारा जारी दस्तावेज "स्ट्रेटेजी फार न्यू इण्डिया एट 75" में सुझाव दिया गया है कि तेल, प्राकृतिक गैस, एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाया जाना चाहिए और सभी तरह की उर्जा पर जीएसटी की समान दर होनी चाहिए।
3. 28 फीसद के उच्चतम स्लैब में लक्जरी व अवगुणी वस्तुओ के अतिरिक्त आम लोगो के उपयोग की केवल एक वस्तु सीमेंट रह गयी है। अतः सीमेंट पर भी जीएसटी की दर में कमी की जानी चाहिए।
4. 12 व 18 फीसद के स्लैबो को 15 फीसद के स्लैब में परिवर्तित किया जाना चाहिए।
5. रियल एस्टेट व शराब को जीएसटी के दायरे में लाया जाना चाहिए।
6. चीनी पर सैस लगाने पर निर्णय होना चाहिए।
7. टैक्स अधिकारियो द्वारा भी जीएसटी मुनाफाखोरी की शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था की जाये।
8. मुनाफाखोरी की शिकायत सही पाये जाने पर और कडे दण्ड की व्यवस्था की जाये।
9. एक निश्चित सीमा से अधिक कारोबार करने वाली कम्पनियो को प्रत्येक बिक्री पर जीएसटी पोर्टल या सरकार के किसी अन्य पोर्टल से ई–इन्वायस लेने का प्रावधान किया जाये। इसके बाद ई–वे बिल की आवश्यकता नहीं रह जायेगी।
10. ऐसी सिस्टम तैयार किया जाये जिससे लगातार 2 तिमाही के लिए रिटर्न फाइल न करने वाले कारोबारियो के लिए ई–वे बिल जेनरेट करना असभंव हो जाये।
11. फर्जी ई–वे बिल और फर्जी इन्वायस जिनसे करीब 5000 करोड़ रु0 की जीएसटी चोरी का अनुमान है, से कडाई से निपटा जाये।
12. हाईवे पर टोल क्लेक्शन के लिए प्रचलित फास्टैग प्रणाली आरएफआईडी तकनीक पर आधारित है जीएसटी चोरी रोकने के लिए ई–वे बिल के तंत्र को प्रभावी ढंग लागू करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश, महाराश्ट्र एवं कनार्टक में आरएफआईडी (रेडियो फिक्वेंसी आईडेंटिफिकेशन डिवाइस) तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। कई कारोबारी एक ही ई–वे बिल पर कई चक्कर लगाकर जीएसटी की चोरी करते हैं। ई–वे बिल को फास्टैग से लिंक करने पर अधिकारियों को पता चल जायेगा कि किस वाहन ने कितनी बार टोल प्लाजा पार किया है इसलिये ई–वे बिल प्रणाली को एनएचएआई के फास्टैग से लिंक किया जाये और इसे पूरे देश मे लागू किया जाये।
13. जीएसटी चैक प्वाइंट (निगरानी तंत्र) को मजबूत बनाया जाये।
14. कर चोरी की रोकथाम हेतु सृदढ़ तंत्र विकसित किया जाये।

निष्कर्ष

जीएसटी की दरों को तर्कसंगत बनाने (कम करने) की हर कोशिष राजस्व संग्रह को प्रभावित करती है षायद इसी कारण जीएसटी में सुधार गति धीमी है पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा भी है कि राजस्व में वृद्धि होने पर भारत में जीएसटी की एक स्टेंडर्ड दर 12 से 18 फीसद के बीच होगी। इसके अलावा आवश्यक वस्तुओ पर शून्य व 5 फीसद, लक्जरी व सिनगुडस (सिगरेट, हानिकारण पेय पदार्थो और जुये जैसी वस्तु और सेवा जो प्रचलन में तो है लेकिन व्यक्ति और समाज के लिए हानिकारक है) के लिए जीएसटी की उच्च दर होगी। इस धीमी गति के लिए वे कारोबारी भी जिम्मेदार है जो कर चोरी में लिप्त है। वास्तविकता यह है कि तकनीक के इस युग में कर चोरी के बेजा उपाय अधिक समय तक कारगर रहने वाले नहीं है जीएसटी का मकसद केवल कर व्यवस्था के जटिल ढांचे को दुरस्त करना भर नहीं है बल्कि देश के विकास को गति देना भी है इसलिए कारोबारियो का हित इसी में है कि वे विकास की गति को बल देने में अपना योगदान दें।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

प्रतियोगिता दर्पण, हिन्दी मासिक, अक्टूबर 2018 – जून 2019।
दैनिक जागरण, मेरठ, 30 सितम्बर 2018 – जून 2019।
अमर उजाला, मेरठ, 30 सितम्बर 2018 – जून 2019।
दैनिक जनवाणी, मेरठ, 30 सितम्बर 2018 – जून 2019।
हिन्दुस्तान, मेरठ, 30 सितम्बर 2018 – जून 2019।